दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-1

(कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख)

मंगलवार, 26 नवम्बर, 2002/कार्तिक 05,1924 (शक)

संख्या-89

1. 2.00बजे **प्रश्नकाल :** तारांकित प्रश्न संख्या- 19 से 21,23 से 25 तथा उनसे संबंधित पूरक प्रश्न पूछे गये और उनके मौखिक उत्तर दिये गये । तारांकित प्रश्न संख्या- 22, 26 और 29 से 38 और अतारांकित प्रश्न संख्या- 5 से 57 के उत्तर सदन पटल पर रखे गये ।

2. 3.00 बजे **सदन पटल पर प्रस्तुत किये जाने वाले कागजात:**

श्री हारून युसुफ, विकास मंत्री ने निम्नलिखित कागजातों की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति सदन पटल पर रखीं:-

क. गांव रन्होला के राजस्व क्षेत्र में, अधिसूचित कृषि विपणन विनियमन हेतु कृषि उपज मण्डी समिति नजफगढ के क्षेत्र में शामिल करने के बारे में अधिसूचना एफ.8/6/87/कृ.वि.नि./ एम.आर/खण्ड-/4710-4744, दिनांक 12.12.2001.

ख. कृषि उपज मण्डी समिति, शाहदरा के सदस्य मनोनीत करने से संबंधित अधिसूचना सं.8/18/99/कृ.वि.नि./एम.आर/1196-1230, दिनांक 1.4.2002.

ग. चारा मण्डी समिति (टीकरी कलां दिल्ली को भंग करने तथा वहां प्रशासक नियुक्त करने के बारे में अधिसूचना सं.8/19/99/कृ.वि.नि./एम.आर/2851-2880, दिनांक 5.8.2002.

घ चारा मण्डी, लोनी रोड तथा चारा मण्डी, कोंडली का दिल्ली चारा भण्डी समिति, टीकरी कलां के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरण के बारे में अधिसूचना सं.8/6/86/कृ.वि.नि./एम.आर/ खण्ड-2/ 3424, दिनांक 25.9..2002.

ङ बागवानी से सम्बन्धित "फूल पत्ती" को मद संख्या-15 में "उद्यान-फूल, कटे हुए फूल तथा गमले के पौधे" में जोड़ने के बारे में अधिसूचना सं.एफ.8/3/2001/कृ.वि.नि./एम.आर/3544, दिनांक 12.12.2001.

3. 3.02बजे **विशेष उल्लेख नियम-280: निम्नलिखित** सदस्यों ने **नियम-280** में मामले उठाये :-

1. श्री वीर सिंह
2. चौ0 शीश पाल
3. श्री मोती लाल बोकोलिया
4. श्री राम सिंह नेताजी
5. श्री रूप चन्द
   (स्वास्थ्य मंत्री ने हस्तक्षेप किया)
6. श्री मोहन सिंह बिष्ट
7. श्री माला राम गंगवाल
8. श्री नन्द किशोर गर्ग
9. श्री राधे श्याम खन्ना

4. 3.20बजे **समिति के प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण:**

श्री मुकेश शर्मा ने **20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत भूमि आबंटन से संबंधित मुद्दों पर विचार करने हेतु गठित सदन की समिति** का **प्रारंभिक प्रतिवेदन** सदन में प्रस्तुत किया ।

5. 3.26 बजे **प्रस्ताव**

(I) श्री मंगत राम सिंघल ने प्रस्ताव किया कि "यह सदन दिनांक 25/11/2002 को सदन में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन से सहमत हैं !"

प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा गया और स्वीकार किया गया।

(ii) श्री मंगत राम सिंघल ने प्रस्ताव किया कि- " यह सदन दिनांक 25/11/2002 को सदन में प्रस्तुत **गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति** के तेरहवें प्रतिवेदन से सहमत है ।"

प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा गया और स्वीकार किया गया।

6. 3.27बजे **प्रस्ताव नियम-107**

श्री मुकेश शर्मा ने नियम 107 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अपनी बात रखी -
यह सदन सिफारिश करता है कि दिल्ली में पार्किंग टैक्स लगाने के हाल ही के प्रस्ताव को जनहित में तुरन्त वापिस लिया जाये ।
शहरी विकास मंत्री ने हस्तक्षेप किया और सदस्य से प्रस्ताव को वापस लेने का अनुरोध किया ।
सदन की अनुमति से प्रस्ताव को वापस लिया गया ।
चर्चा में अन्य सदस्यों को भाग न लेने देने के अध्यक्ष महोदय के निर्णय के विरोधस्वरूप भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने सदन से संक्षिप्त बर्हिगमन किया ।

7. 3.40 बजे **अल्पकालिक चर्चा:**

श्रीमती किरण चौधरी ने राजधानी में महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार तथा कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर **अल्पकालिक चर्चा** प्रारम्भ की ।

4.05 बजे सदन जलपान अवकाश के लिये स्थगित हुआ ।

4.35 बजे सदन पुनः समवेत हुआ ।

अल्पकालिक चर्चा जारी--------

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1. श्री अरविन्दर सिंह लवली

445 बजे (माननीय उपाध्यक्ष महोदया पीठासीन हुईं)
(श्री हरशरण सिंह बल्ली और डॉ. जगदीश मुखी ने उपाध्यक्ष महोदया के नाम से सूचीबद्ध विषय की चर्चा पर स्वयं अध्यक्षता किये जोन पर मर्यादा का प्रश्न उठाया और उपाध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि इसमें नियमों की कोई अवहेलना नहीं है । अपना आसन ग्रहण करने से मना करने और सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के परिणामस्वरूप श्री हरशरण सिंह बल्ली को सदन से बाहर जाने के लिये कहा गया ।)
(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने विरोधस्वरूप सदन से संक्षिप्त बर्हिगमन किया ।)
तत्पश्चात निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

2. डॉ. श्रीमती किरण वालिया

3. डॉ. हर्षवर्द्धन

4. श्रीमती अंजलि रॉय

5. श्री साहब सिंह चौहान

6. श्री नरेश गौड़

मुख्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया और श्री लवली द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन किया ।

चूंकि उपाध्यक्ष महोदया ने व्यवस्था दी कि प्रस्ताव तब तक नहीं लिया जा सकता, जब तक कि इस संबंध में संबंधित नियमों को निलम्बित नहीं किया जाये, श्री अजय माकन,परिवहन एवं ऊर्जा मंत्री ने प्रस्ताव से संबंधित नियमों को निलम्बित करने हेतु नियम-290 के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किया ।

उपाध्यक्ष महोदया ने प्रस्ताव को सदन के सामने रखा ,जिसे मतदान के लिये रखा गया और स्वीकार किया गया ।

भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने विरोधस्वरूप सदन से बर्हिगमन किया ।

तत्पश्चात, श्री अरविन्दर सिंह लवली ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया:-

यह सदन केन्द्र सरकार द्वारा दिल्ली पुलिस का इस तरह से राजनीतिकरण करने के प्रयास पर गहरी चिन्ता व्यक्त करता है कि अधिकारी स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की इच्छाओं के अनुरूप कार्य करने को बाध्य हों । इसे तुरन्त रोका जाये ।

यह सदन राजधानी में महिलाओं पर हो रही हिंसक घटनाओं की वृद्धि पर गहरी चिन्ता व्यक्त करता है । यह सदन इस समस्या का सामना करने के लिये ऐसी टी.वी. फिल्मों पर प्रतिबन्ध लगाये जाने,जो हिंसा और निर्दयता को दिखाती है अथवा मजबूत पारिवारिक संबंधों की जड़ों पर प्रभाव डालने वाले मोहक विषय वस्तु के दृश्यों पर रोक लगाये जाने का संकल्प करता है ।

यह सदन यह भी संकल्प करता है कि पुलिस उचित रूप से संवेदनशील हो और राजधानी में महिलाओं के बीच विश्वास उत्पन्न करें और महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार के मामलों को शीघ्र एवं सहानुभूतिपूर्वक निपटायें ।

यह सदन इलैक्ट्रानिक और प्रिन्ट मीडिया द्वारा देश में हिंसा की घटनाओं को समाचारों में बार-बार दोहराने पर भी गहरी चिन्ता व्यक्त करता है और उन्हें ये सूचित करना चाहता है कि इस तरह का व्यवहार किसी समुदाय विशेष के विरुद्ध हिंसा और घृणा की भावना पैदा कर सकता है और उनसे जिम्मेदार और सीमित रिपोर्टिंग की अपील करता है ।

6.36 बजे सदन पूरे दिन के लिये स्थगित हुआ ।

दिल्ली,

26 नवम्बर,2002

एस.के.शर्मा

सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

Bulletin Part-I

(Brief Record of Proceedings)

Tuesday, the 26th November 2002/ Karthika 5, 1924 (Saka)

No.89

2.00 PM **Question Hour:** Starred Questions 19-21, 23-25 were asked and replied. Replies to 22, 26, and 29-38and Unstarred Questions 05-57 were laid on the Table.

2 **3.00 PM** **Papers laid on the Table:**

Shri Haroon Yusuf, Minister of Development laid copies of the following documents (English and Hindi version) on the Table of the House:

1. Notification dated 12.12.2001 regarding addition of revenue estate of village Ranhola in the schedule for market area of APMC, Najafgarh.
2. Notification dated 1.4.2002 regarding nomination of members of APMC Shahdara.
3. Notification dated 5.8.2002 regarding supersession of Delhi Fodder Marketing Committee (Tikri Kalan) and appointment of an Administrator of the Committee.
4. Notification dated 25.9.2002 regarding addition of sub-yard of Fodder Market, Loni Road and Fodder Market, Kondli in the schedule of Delhi Fodder Marketing Committee, Tikri Kalan, Delhi.
5. Notification dated 7.10.2002 regarding 'Phool Patti' pertaining to Horticulture under item No.XV in the Act and addition of 'cut-flowers' and 'potted plants' in the Schedule.

3 **3.01 PM** **Special Mention (Rule 280):**

Following Member made special mention under Rule 280:

1. Shri Veer Singh
2. Ch. Shish Pal
3. Shri Moti Lal Bakolia
4. Shri Ram Singh Netaji
5. Shri Roop Chand
6. Shri Mohan Singh Bisht
7. Shri Mala Ram Gangwal
8. Shri Nand Kishore Garg
9. Shri Radhey Shyam Khanna

4 **3.20 PM** **Presentation of Reports:**

Shri Mukesh Sharma presented the '**Preliminary Report of the House Committee to consider the issues relating to allotment of land under the 20 Point Programme**'.

5 3.26 PM **Motion:**

1. Shri Mangat Ram Singhal moved the following Motion: "that this House agrees to the Eleventh Report of the **Business Advisory Committee** presented to the House on 25th November, 2002.

The Motion was put to vote and adopted.

2. Shri Mangat Ram Singhal moved the following Motion: "that this House agrees to the Twelfth Report of the **Committee on Private Members Bills and Resolutions** presented to the House on 25th November, 2002."

The Motion was put to vote and adopted.

6 3.27 PM **Motion (Rule 107):**

Shri Mukesh Sharma spoke on the following Motion:
"This House recommends that the recent proposal regarding imposition of parking tax in Delhi be withdrawn immediately in the public interest."

The Minister of Urban Development intervened and requested the Member to withdraw the Motion.

The Motion was withdrawn with the leave of the House.

(Protesting against the Chair's decision of not allowing other members to participate in the debate, the Members of the BJP staged a brief walk out.)

7 3.40 PM **Short Duration Discussion:**

Smt. Kiran Chaudhary raised short duration discussion on the rising incidences of atrocities on women and deteriorating law and order situation in the Capital.

4.05 PM **The House adjourned for tea break.**

4.35 PM **The House reassembled.**

Debate on short duration discussion continued and the following Members participated:
1. Shri Arvinder Singh Lovely (He also moved a Motion)

(Hon'ble Deputy Speaker in Chair)

4.45 PM (Shri Harsharan Singh Balli and Dr. Jagdish Mukhi questioned the propriety of Deputy Speaker to preside over a Discussion listed in her name and the Chair ruled that there was no violation of Rules. For refusing to resume his seat and for causing disturbance in the proceedings, Shri Balli was asked to withdraw from the House.)

(The Members of the BJP staged a brief walk-out in protest)

The following Members participated in the discussion thereafter:
2. Dr. (Smt.) Kiran Walia
3. Dr. Harsh Vardhan

4. Smt. Anjali Rai
5. Shri Sahab Singh Chauhan
6. Shri Naresh Gaur

The Chief Minister replied to the Debate and supported the Motion moved by Shri Arvinder Singh Lovely.

As the Chair ruled that the Motion could not be taken up unless rules in this regard were suspended, Shri Ajay Maken, Minister of Transport and Power, moved under Rule 290 seeking suspension of Rules concerning Motions.
The Chair placed the Motion before the House, which was put, to vote and adopted.

(The Members of the BJP walked out in protest).

Shri Arvinder Singh Lovely, thereafter moved the following Motion:

"This House expresses its strong concern over the attempt of the Central Government to politicize Delhi Police in such a way that officers are compelled to act on the wishes of local BJP leaders. This should be stopped immediately.
This House further resolves and expresses serious concern over the increasing incidence of violence against women in the capital. To combat this malaise, this House resolves that projection of TV films, which highlight violence and brutality, or glamorize themes striking at the root of stable family relationships, should be eschewed.

This House also resolves that the police be appropriately sensitized and equipped to generate confidence amongst the women in the Capital, and promptly and sympathetically respond in cases involving atrocities against women.

Further, this House conveys to the electronic and print media, its strong concern over the repeated projection of news on violent incidents in the country, in a manner which could incite violent and heinous reactions against particular communities, and appeals to them for responsible and restrained reporting."

The Motion was put to vote and adopted.

6.36 PM **The House adjourned for the day.**

SK Sharma
Secretary

26th November 2002
Delhi